143

Spare Copies (498) (104)

[TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th April, 1978

NOTIFICATIONS

G.S.R.________.- In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (Central Act 22 of 1922), as in force in the State of Gujarat at the date of this notification.

[No. U-11015/8/77-(i)-UTL (143)]

(H.C. BAKHSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

G.S.R.________.- In pursuance of clause(1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers of the State Government under sub-section (3) of section 1 of the Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (Act 22 of 1922) within that Union territory.

[No. U-11015/8/77- (ii)-UTL]

(H.C. BAKHSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press, Ring Road,
Mayapuri Industrial Area,
NEW DELHI.

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(1) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

-:-

नई दिल्ली-110001, ता0 25 अप्रैल, 1978

अधिसूचनाएं

सा0 का0 नि0 केंद्रीय सरकार, दादरा और नगर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922(1922 का केंद्रीय अधिनियम 22) का, जैसाकि वह अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य में प्रवृत्त है, विस्तार दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर करती है ।

(सं0यू0 11015/8/77-(i)यू0 टी0 एल0 (143))

ह0 सी0 बक्षी

(एच0 सी0 बक्षी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सा0 का0 नि0 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड(1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, उस संघ राज्य क्षेत्र के भीतर पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922(1922 का अधिनियम 22) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग भी करेगा ।

(सं0यू0 11015/8/77-(ii)-यू0 टी0 एल0

ह0 सी0 बक्षी

(एच0 सी0 बक्षी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिकक्षेत्र,
नई दिल्ली